उच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या:561 आर/छः-पु-5-638/96-टीसी

प्रेषक,

अतुल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 10 जुलाई, 1998

विषयः बैंको की सुरक्षा के संबंध में आग्नेयास्त्र लाइसेन्सों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 751आर/छः-पु-5-95, दिनांक 21.4.95 एवं शासनादेश संख्या 1984 आर/छः-पु-5-678/96, दिनांक 3.6.98 द्वारा पूर्व निर्गत आदेशों के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि हाल में हुई बैंक डकैतियों एवं लूट की घटनाओं को देखते हुए जनपद की बैंक शाखाओं के आग्नेयास्त्र लाइसेन्सों हेतु लम्बित समस्त आवेदनपत्रों पर कृपया तत्काल कार्यवाही करते हुए विलम्बतम दिनांक 13.7.98 तक सभी मामलों में निर्णय ले लिया जाय।

इस संबंध में कृपया अनुपालन की स्थिति से शासन को विलम्बतम 15.7.98 तक अवश्य अवगत करा दिया जाय।

उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समस्त जिला मजिस्ट्रेट को सम्बोधित शासनादेश संख्या 4178 आर/छः-पु-5-585/96,दिनांक 29 अगस्त, 1996 के साथ संलग्न भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-11013/2/87-आर्म्स, दिनांक 08 दिसम्बर, 1987 के अनुसार बैकों में सुरक्षा व्यवस्था के प्रमुख के पक्ष में पदनाम से लाइसेंन्स प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे निर्गत लाइसेंन्स पर उसके कालम-6 से 8 में लाइसेस पर दर्ज शस्त्र के प्रतिधारी के अंकन की व्यवस्था पूर्व से विदयमान है।

भवदीय,

(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव।